कुछ भ्रमः जो अंगदाता बनने से रोकती है

भ्रमः बीमारी, उम्र और शारीरिक दोष जैसी कुछ बाते है जो मुझे अंगदाता बनने से रोकती है।

तर्कः हर व्यक्ति जो अंगदान करता है उसकी चिकित्सक जांच होती हैं और मरने तक इस बात का ध्यान दिया जाता है की उसके कौन से अंग दान करने लायक हैं। जो लोग पहले से ही कैंसर या अन्य गम्भीर बीमारी से ग्रस्त हो उन्हे पहले से ही पंजीकारणफार्म में उल्लेख होगा।

भ्रमः अगर डॉक्टर को पता चलेगा की मैं एक अंगदाता हूँ वह मेरा जीवन बचाने का प्रयास नही करेंगे।

तर्कः डॉक्टर और चिकित्सक कर्मचारी किसी भी व्यक्ति की जान बचाने के लिए हर कोशिश के लिए वचनवद्ध होते है। दान के लिए अंग तभी निकाले जाते है जब यह निश्चित हो जाए की किसी की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु हुई निश्चित करने का काम जो डॉक्टर करता है वह अंग निकालने वाली टीम से पूरी तरह स्वतंत्र होता है।

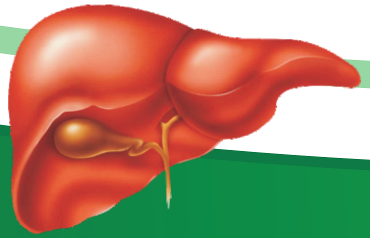

भ्रमः मेरे पारिवार से अंगदान के लिए शुल्क लिया जाएगा।

तर्कः अंगदान के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नही लिया जाता है। चिकित्सा खर्च व अन्तिम संस्कार की वयवस्था से जुडे खर्चो के लिए भुगतान की उम्मीद की अस्पताल या डॉक्टर से नहीं की जा सकती है।

भ्रम : अंग निकालने के बाद शरीर को अन्तिम संस्कार के लिए पारिवार के सदस्यों को नही सौंपा जायेगा ।

तर्क : अंग निकालने के बाद शरीर को पूरे सम्मान पूर्वक और गरिमा के साथ अन्तिम संस्कार के लिए पारिवार के सदस्यों को सौंप दिया जाता है।

विश्वास करें कि अंगदान करके आप जीवन बचा सकते हैं

अंगदान जीवन बचाता है

DORSO

DECEASED ORGAN RETRIEVAL SHARING ORGANIZATION

दोस्त बने और डोरसो (DORSO) में पंजीकरण करवायें सम्पर्क करें :

011-43560468
www.dorso.org

info@thelivercarefoundation.org

द लिवर केयर फाउंडेशन
104, प्रथम तल, अंतरिक्ष भवन 22 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली– 110001 फोन न.–011–43560468,
ईमेल–livercare3@gmail.com
वेबसाईट –www.thelivercarefoundation.org

The Liver Care Foundation
Awareness • Assistance • Academics

"द लिवर केयर फाउंडेशन"

BECOME AN ORGAN DONOR

अंगदान महादान

अंगदान और प्रत्यारोपण क्या है

अंग प्रत्योरापण , अंगो और ऊतकों को एक व्यक्ति (दाता) से अन्य व्यक्ति मे (प्राप्तकर्ता) अंग लगा दिए जाने की प्रक्रिया है।अंगदान की अनुमति के बाद ही अंगो और ऊतकों को शरीर से निकाला जाता है और किसी अन्य व्यक्ति कोदिया जाता है। ज्यादातर लोग अंगो और ऊतकों का दान मरने के बाद ही करते है। परन्तु कई जीवित व्यक्ति द्वारा कुछ अंगो का दान भी किया जाता है

अंगदाता कौन हो सकता है?

अंगदाता बनने के लिए किसी भी उम्र की सीमा नही है। शिशु से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक अंगदाता बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु से कम है तो उसे अंगदाता बनने के लिए परिवार की सहमति की आवश्यकता होगी।

अंगदाता कौन नही बन सकता है?

कुछ चिकित्सा के हालात ऐसे होते है जिसमे लोग अंगदान नही कर सकते । इनमे शामिल है :

i.HIV से ग्रस्त व्यक्ति

ii.कैंसर से पीडित व्यक्ति

अंगदान व उम्र

कोर्निया (आंखे)–0 से 100 वर्ष तक

हृदय वाल्ब–0 से 60 वर्ष तक

त्वचा –16 से 85 वर्ष तक

गुर्दे –0 से 70 वर्ष तक

हृदय –0 से 60 वर्ष तक

जिगर–0 से 70 वर्ष तक

फेफडे–0 से 60 वर्ष तक

एक दाता 8 को नयी ज़िन्दगी दे सकता है

समय का महत्व और सुरक्षित अंग प्रत्यारोपण

गुर्दे	–	48 घंटे
अग्नाश्य (पेनाक्रियास)	–	24 घंटे
जिगर	–	12 घंटे
हृदय और फेफडे	–	6 घंटे
आंखे	–	8 घंटे

अंग प्रत्यारोपण के बारे मे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (सवाल) :

1. मुझेलगता है कि एक बार अंगदाता कार्ड पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद किसी दुर्घटना में मेरा ख्याल नही रखा जाएगा।

यह कभी नही होगा, जान बचाने के लिए हर चिकित्सा कार्मियों की जिम्मेदारी उनकी सबसे बडी प्राथमिकता है। एक मरीज को मृतक प्रमाणित करने के बाद ही अंगदान की उपयुक्ता, अंग विफलता के साथ ही रोगी को नया जीवन देने के लिए विचार किया जाता है।

2. मेरे अंगदान के बारे में परिवार के सदस्यों को जानकारी नही है

यदि अंगदाता किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता हैं और उसके परिवार के सदस्यों को पंजीकारणफार्म के बारे में जानकारी नही है तो मृतक का अंगदान नहीं लिया जा सकेगा।

3. मैं अंगदान के लिए बहुत बूढा हूँ।

अंगदाता बनने के लिए कोई भी उम्र सीमित नही है। नवजात शिशु से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक अंगदाताबन सकता है। अगर कोई व्यक्ति 18 वर्श की आयु से कम है तो उसे अंगदाता बनने के लिए अपने परिवार की सहमति आवश्यक है।

एक ऐसा अवसर है जिसमे उत्तकों और अंगों का दान किया जाता है

4. मैं पिछले समय से बिमार रहा हूँ और मेरा शरीर अंगों और ऊतकों के दान के लायक नही हैं।

कैंसर व सक्रामक बिमारी से ग्रस्त व्यक्ति अपना अंग दान नही कर सकते। डाक्टर द्वारा ही यह तय किया जाता है कि व्यक्ति का अंग दान करने लायक है या नही।

5. मैं चिंतित हूँ कि अंतिम संस्कार में अंगदान देने से मेरा शरीर प्रभावित होगा।

एक बार सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के पश्चात (दाता) परिवार वालों की सहमति के बाद प्रत्यारोपण की क्रिया जल्द से जल्द शुरू कर दी जाती हैं। यह कार्य बहुत सम्मान के साथ किया जाता है। मृत व्यक्ति के पूरे शरीर की विकृति नहीं होती हैं ।

6. मै चिंतित हूँ क्योंकि मै अपने पूरे अंगदान नही करना चाहता मै केवल कुछ ही अंगदान करना चाहता हूँ

केवल उन्ही अंगो को लिया जाता है जिनका उल्लेख अंगदाता कार्ड में कर रखा है। इसके अतिरिक्त अंगदान के पहले परिवार की सहमति की आवश्यकता होती है।

7. प्राप्तकर्ता या उसके पारिवार वाले अंगदाता का नाम और पता जानना चाहते है ताकि उनका धन्यवाद कर सकें

दाता और प्राप्तकर्ता की गोपनीयता का हमेशा सम्मान किया जाएगा, प्राप्तकर्ता और दाता के व्यक्तिगत विवरण, का खुलासा नही किया जाएगा, लेकिन अंगदाता के प्रत्यारोपण के बाद उसके पारिवार को प्राप्त कर्ता के स्वास्थ के बारे में सूचित किया जाता है

लगभग 23 ऐसे ऊतक और अंग है जिन्हे दान किया जा सकता है।